केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/309 दिनांक: 30.08.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00306
CICOM/R/2016/00817

अपीलकर्ता : सुश्री रजनी देवी, द्वारा – श्री श्रीराम निवास प्रजापति,
मो0 – आदर्श नगर कालोनी, गली नं. 1,
रोजा जं., जिला – शाहजहाँपुर – 242001.
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 29.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	27.06.2016,
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वी. के. चन्डोक
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156981/21.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	436/25.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम में आयोग के पत्र सं. Secy/CIC/RTI replies/2016/007 दिनांक 27.05.2016 का उल्लेख करते हुए सूचना मांगी है कि निदेशक (पी) ने प्रार्थिनी के मामले अभी तक अपेक्षित कार्यवाहियॉं क्यों नही की/कराई है । पत्र सं. Secy/CIC/RTI replies/2016/007 दिनांक 27.05.2016 के संदर्भ में उल्लेखनीय है अपीलकर्ता ने एक अन्य आर.टी.आई. आवेदन (सं.CICOM/R/2016/00663) के माध्यम से सूचना मांगी थी कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र सं. 11/5/2013-IR दिनांक 2 सितम्बर, 2013 के साथ संलग्न अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव कार्यालय के निजी सहायक द्वारा पत्र सं. Secy/CIC/RTI replies/2016/007 दिनांक 27.05.2016 के माध्यम से सूचित किया गया कि डी.ओ.पी.टी. से प्राप्त उक्त रिप्रजेन्टेशन सचिव कार्यालय के डायरी सं. 1249 के द्वारा दिनांक 09.09.2013 को निदेशक (पी) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया है ।

2. प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उन्हें अभी तक कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है जन सूचना अधिकारी ने ***"बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना हेतु निवेदन लेने से इंकार किया है ।***

3. प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई दिनांक 29.08.2016 को अपराह्न 02.30 बजे विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई । सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक प्रजापति तथा जन सूचना अधिकारी – श्री एस.पी. बेक तथा श्री ए. के. शर्मा उपस्थित थे ।

4. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री वी.के.चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2016 को संयुक्त सचिव, प्रशासन को लिखे गए पत्र संलग्न किया है, जिसमें संयुक्त सचिव, प्रशासन से स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया है कि निदेशक (पी) का चार्ज एवं अपीलकर्ता का उक्त रिप्रजेन्टेशन किस अधिकारी को सौपने की व्यवस्था/आदेश हुए थे । अत: अपीलकर्ता का आरोप आधारहीन है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना हेतु निवेदन लेने के इंकार किया गया है ।

---2/-

5. चूंकि वर्तमान में आयोग में निदेशक (पी) का काई पद नहीं है एवं निदेशक (पी) के नाम से कार्यरत अधिकारी भी आयोग से लगभग दो वर्ष पूर्व ही जा चुके हैं, अतः अपीलकर्ता से अनुरोध है कि डी.ओ.पी.टी. (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रेषित जिस रिप्रजेन्टेशन का उल्लेख उन्होंने अपने आवेदन में किया है, यदि उस रिप्रजेन्टेशन की प्रति उनके पास है तो आयोग को उपलब्ध करवा दें ताकि उस पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके ।

6. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

7. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।